

क्रमांक.....

मूल्य 200/- (दो सौ रुपये)
प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27.07.2022
समय दोपहर 1.00 बजे तक

महाविद्यालय केन्टीन संचालन हेतु तकनीकी निविदा विश्वविद्यालय महारानी महाविद्यालय, जयपुर

मैं/हम महाविद्यालय केन्टीन को निम्न विवरणानुसार विभिन्न खाद्य/पेय सामग्री/वस्तु को उनके समक्ष अंकित दरों, किस्म, नाप एवं वजन के आधार पर संचालन हेतु तैयार हूँ/हैं।

क्रमांक	नाम वस्तु	दर	वजन
1.	चाय	10.00 प्रति कप	125 मिली के गिलास में 100 मिली चाय
2.	कॉफी नेसकैफे	13.00 प्रति कप	125 मिली के गिलास में 100 मिली चाय
3.	कोल्ड ड्रिंक	बाजार भाव	—
4.	बिस्किट तथा अन्य सामान के पैकेट	बाजार भाव	—
5.	ज्यूस पैक्स	बाजार भाव	—
6.	ताजा ज्यूस	20.00 प्रति गिलास	200 मिली
7.	पेस्ट्री	20.00 प्रति नग	—
8.	पेटीज	15.00 प्रति नग	70 ग्राम
9.	पकौड़ा (मिक्स वेज)	15.00 प्रति प्लेट	50 ग्राम प्रति प्लेट
10.	कोपता/कचोरी/समोसा/ब्रेड पकोड़ा	15.00 प्रति नग	70 ग्राम
11.	खमण ढोकला	15.00	2 नग (50 ग्राम)
12.	नमकीन/भुजिया प्लेट	10.00 प्रति प्लेट	50 ग्राम
13.	सेण्डविच (2 ब्रेड के साथ) (वेजीटेबल+बटर+सॉस सहित)	20.00 प्रति नग	—
14.	ग्रिल्ड सैण्डविच	25.00 प्रति नग	—
15.	आलू सैण्डविच	20.00 प्रति नग	—
16.	पोहा	10.00 प्रति प्लेट	—
17.	अंकुरित दालों की चाट	15.00 प्रति प्लेट	—
18.	इडली,सांभर, पावभाजी	25.00 प्रति प्लेट	2 नग
19.	छोला भटूरे	30.00 प्रति प्लेट	2 नग
20.	मसाला डोसा	40.00 प्रति प्लेट	—
21.	उत्तपम	25.00 प्रति प्लेट	—
22.	मैगी	20.00 प्रति प्लेट	—
23.	चाऊमीन/नूडलस	25.00 प्रति प्लेट	—
24.	टिक्की छोला	25.00 प्रति प्लेट	—
25.	पिज्जा स्मॉल	30.00 प्रति नग	—
26.	बर्गर	25.00 प्रति नग	—
27.	भेलपुरी	15.00 प्रति प्लेट	—
28.	पतासी (पानी पूरी)	20.00 (5 नग)	—
29.	मिनी मील (पनीर-दो परांठा, राजमा चावल, पुलाव दही, आलू परांठा-दही, अचार, चटनी, पापड़, सलाद सहित)	50.00 प्रति प्लेट	—
30.	मिठाई (Sweets)	बाजार दर	प्रति किलो के हिसाब से
31.	सरस/अमूल छाछ, लस्सी, दही, फ्लेवर्ड दूध आदि	सरस/अमूल की निर्धारित दर पर	—
32.	आईस्क्रीम	प्रिंटेड प्राईज	प्रति नग

उपरोक्त दरें ठेका स्वीकृत होने से पूर्व मात्रा, किस्म एवं वजन को ध्यान में रखते हुए Negotiable होगी। खाद्य सामग्री अच्छी किस्म के तेल (जैसे कि फोर्चून/चम्बल/आदि) में बनाया जाना चाहिए व दूसरी वस्तुएँ भी अच्छी खाद्य सामग्री व किस्म की हों।

विश्वविद्यालय महारानी महाविद्यालय कैंटीन संचालन हेतु निविदा
प्रपत्र

आवेदक का
हस्ताक्षरित प्रमाणित
फोटो

1. फर्म का नाम
2. रजिस्ट्रेशन नं.
3. फर्म के स्वामी का नाम
4. पिता/पति का नाम
5. आयु
6. शैक्षणिक योग्यता
7. फर्म का पूरा पता
8. निवास का पूरा पता
9. वर्तमान व्यवसाय
10. पूर्व में कैंटीन चलाने का अनुभव : हां/नहीं यदि हां तो अनुभव वर्ष
- अनुभव का पूर्ण विवरण, प्रमाण पत्र सहित संलग्न करें
11. किन्हीं दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम व पते, जो आपको भली प्रकार से जानते हों।
 1.
 2.
12. जीएसटी नं. PAN No
13. फूड लाइसेंस नं. (यदि है तो) *
14. निविदा पत्र के साथ रु. 10,000/- धरोहर राशि के रूप में जमा करवाना आवश्यक है।
विवरण निम्नानुसार है -
डी.डी. संख्या दिनांक राशि रूपये 10,000/-
बैंक का नाम

* (यदि नहीं है तो कैंटीन ठेकेदार को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस देकर लाइसेंस महारानी महाविद्यालय कैंटीन के नाम स्वयं लेना होगा।)

15. महाविद्यालय को दी जाने वाली कैंटीन किराया राशि निम्नानुसार प्रतिमाह देने के लिए तैयार हूँ :-

प्रस्तावित किराया राशि (अंकों में) रु.

(शब्दों में) रु.

(कैंटीन संचालन के लिए प्रस्तावित किराया राशि भरा जाना आवश्यक है। इसे रिक्त छोड़ने अथवा नहीं भरने की स्थिति में टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा। कैंटीन कमेटी को इसे अस्वीकृत/रद्द करने का अधिकार होगा।)

16. अन्य कोई विवरण जो आप देना चाहें

.....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्य मेरी/हमारी जानकारी में सत्य हैं। मैंने/हमने महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तत्संबंधी समस्त शर्तें एवं नियम भलीभांति पढ़ व समझ लिये हैं जो मुझे/हमें स्वीकार हैं। यदि मुझे/हमें वर्ष 2022-23 (01.08.2022 से 31.07.2023) में महाविद्यालय की कैंटीन संचालन का अवसर मिला तो मैं/हम निष्ठापूर्वक कार्य कर श्रेष्ठतम सेवायें निष्पादित करेंगे/करूंगी/करूंगा।

स्थान

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर
(यदि मुहर हो तो वह भी लगायें)

नोट :- आवेदक अपना प्रमाणित परिचय पत्र संलग्न करें। (आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता परिचय पत्र)

विश्वविद्यालय महारानी महाविद्यालय, जयपुर। केन्टीन संचालन की शर्तें एवं नियम

- निविदाएँ निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी।
- निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ प्राचार्या, महारानी महाविद्यालय के पक्ष में रु. 10,000 का बैंक ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना होगा। जो सफलतम निविदादाता के अतिरिक्त सभी को लौटा दिया जाएगा।
- महिला ठेकेदार को ही ठेका स्वीकृत किया जायेगा। निविदादाता ठेके को सबलेट नहीं कर सकेगा। सबलेट करने की स्थिति में ठेका निरस्त समझा जावेगा तथा जमा अमानत राशि (S.D.) जब्त कर ली जायेगी।
- निविदा प्रपत्र दिनांक 27.07.2022 को 3.00 बजे महाविद्यालय में खोले जायेंगे इसमें सभी निविदादाताओं को साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं उम्मीदवार के साक्षात्कार के आधार पर निविदादाताओं का चयन किया जायेगा। महिला महाविद्यालय के अनुरूप वांछित कार्यानुभव को देखते हुए ही चयन किया जायेगा तथा इस संबंध में केन्टीन समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- केन्टीन संचालन की संविदा अवधि 01.08.2022 से 31.07.2023 अथवा निविदा का निर्धारण होने के उपरान्त की तिथि से लागू (Effective) होने पर दिये जाने वाले ठेका (अनुबन्ध) पत्र के अनुरूप सीमित होगी।
- सफलतम निविदादाता को केन्टीन संचालन करने से पूर्व रु. 30,000/- अमानत राशि के रूप में जमा कराने होंगे, जो संविदा अवधि सफलतापूर्वक समाप्त होने पर बिना ब्याज उसे लौटा दिए जाएंगे व अर्नेस्ट मनी के रु. 10,000/- अमानत राशि में समायोजित कर लिए जाएंगे उस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- ठेका स्वीकृत होने पर नियमानुसार स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
- सफलतम निविदादाता के द्वारा संविदा के अनुसार केन्टीन ठेकेदार को निम्न विवरणानुसार प्रति माह की दर से तीन माह का किराया व अन्य व्यय निम्नानुसार अग्रिम जमा कराना होगा:-

अ. मासिक किराया	-	निर्धारित किराया (टेण्डर फार्म में आपके द्वारा प्रस्तावित एवं टेण्डर के अनुसार स्वीकृत)
ब. विद्युत व्यय	-	महाविद्यालय द्वारा स्थापित सब मीटर के अनुसार बिजली का भुगतान करना होगा। (बिजली खर्च अग्रिम राशि रु. 5,000/- मासिक (अनुमानित) मानते हुए तीन माह के लिए कुल रु. 15,000/- महाविद्यालय में जमा करवानी होगी।)
स. फर्नीचर तथा उसका रखरखाव	-	रु. 3000/- प्रति वर्ष (एक वर्ष के लिए जमा कराना होगा)
द. पानी का खर्च	-	रु. 500/- प्रति माह की दर से (तीन माह का रु. 1,500/-)
इ. मासिक किराया के 12 माह (अगस्त 2022 से जुलाई 2023) के अग्रिम चैक	-	चैक में निर्धारित किराये की राशि एवं प्रतिमाह की दिनांक निर्देशानुसार अंकित करनी होगी।
- प्राचार्या द्वारा नियुक्त केन्टीन कमेटी, कमेटी सदस्य अथवा अन्य कोई प्राचार्या द्वारा अधिकृत व्यक्ति अचानक एवं आकस्मिक रूप से क्वालिटी एवं उत्पाद की गुणवत्ता एवं मात्रा की जाँच कर सकता है तथा वह अपनी रिपोर्ट प्राचार्या को प्रस्तुत करेगा, रिपोर्ट के आधार पर निर्णय एवं ठेका निरस्त करने का अधिकार प्राचार्या को होगा।
- निविदादाता का व्यवहार उचित एवं अनुशासित होना आवश्यक है। अन्यथा निविदा/ठेका बिना शर्त रद्द किया जा सकेगा। इसके लिए शिकायत पुस्तिका केन्टीन में संधारित की जायेगी।
- केन्टीन ठेकेदार को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस देकर लाइसेंस महारानी महाविद्यालय केन्टीन के नाम स्वयं लेना होगा। लाइसेंस न लेने की स्थिति में केन्टीन ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
- केन्टीन प्रातः 8.00 बजे से 5.00 बजे तक खुली रखनी होगी तथा इस अवधि में केन्टीन ठेकेदार स्वयं उपस्थित रहेगा।
- सफलतम निविदादाता को ही एक पृथक केन्टीन काउन्टर महारानी कालेज स्थित हॉस्टल के परिसर में खोलना होगा जिसमें खाद्य सामग्री यथा ब्रेड पैकेट, स्नैक्स, पाश्ता पैकेट, सरस दूध, छाछ, दही व ज्यूस आदि के अलावा आवश्यक स्टेशनरी, सेनेटरी नेपकीन व फोटो स्टेट की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। फोटोस्टेट सुविधा महाविद्यालय केन्टीन में भी उपलब्ध करानी होगी जिसका चार्ज प्रति फोटो कॉपी रु. 01 लिया जायेगा। केन्टीन काउन्टर एनीबीसेन्ट छात्रावास व मदर टेरेसा छात्रावास परिसर के मध्य में स्थित एक कक्ष में चलाया जायेगा। केन्टीन संचालन का समय सांय 5.00 बजे तक महाविद्यालय में तथा छात्रावास परिसर में उपरोक्त सुविधा सांय 5.00 बजे से सांय 7.00 बजे तक उपलब्ध करवानी होगी।
- निविदा प्रपत्र में वर्णित वस्तुएँ केन्टीन में ही तैयार कर केन्टीन कार्य समय प्रारम्भ होने के साथ ही उपलब्ध करानी होगी।
- विशेष अवसरों पर दिशा-निर्देशानुसार अलग से व्यवस्था करनी होगी।
- कार्यालय में कार्यरत स्टाफ की मांग पर कार्यालय में चाय आदि पहुंचाने की व्यवस्था रखनी होगी। केन्टीन में कार्यरत स्टाफ के लिए आवश्यकतानुसार प्राचार्या से पास जारी करवाने होंगे।

17. केन्टीन में बिक्री किये जाने वाली सामग्री की मूल्य सूची प्रदर्शित करनी होगी तथा इन निर्धारित दरों पर ही सामान की आपूर्ति करनी होगी।
18. विभिन्न वस्तुओं की बिक्री उक्त स्वीकृत दरों पर ही की जाएगी तथा चाय, काफी आदि के लिए 125 मि.ली. के डिस्पोजेबल कप का उपयोग करना होगा।
19. खाने-पीने की वस्तुओं की शुद्धता व केन्टीन की सफाई की व्यवस्था तथा केन्टीन स्टाफ के कार्य व्यवहार की पूर्ण जिम्मेदारी केन्टीन ठेकेदार की होगी।
20. संविदा पूर्णतः अहस्तांतरणीय होगी तथा संविदाकर्ता ही उक्त संविदा के दायित्वों के प्रति उत्तरदायी होगा।
21. केन्टीन ठेकेदार को केन्टीन कार्य हेतु नियुक्त किये गये अपने समस्त कर्मचारियों का पूर्ण विवरण स्थायी पते एवं फोटो सहित उनका पुलिस वेरीफिकेशन करवा कर महाविद्यालय प्रशासन को अविलम्ब प्रस्तुत करना होगा।
22. केन्टीन ठेकेदार यदि किसी भी स्टाफ को उधार देगा अथवा उधार लेगा या क्रय करेगा तो वह पूर्णतः उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। महाविद्यालय प्रशासन इस संबंध में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
23. संविदा अवधि में किसी भी प्रकार के असंतोष अथवा शर्तों व नियमों के उल्लंघन की दशा में प्राचार्या के द्वारा संविदा को किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा।
24. संतुष्टिपूर्ण सेवायें देने की स्थिति में समिति की अनुशंसा पर संविदा को आगामी वर्ष के लिए भी बढ़ाया जा सकता है।
25. यदि वस्तुओं के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि होती है तो केन्टीन कमेटी संविदा में स्वीकृति दरों को मूल्य वृद्धि के अनुपात में संशोधित करने को अधिकृत रहेगी।
26. महाविद्यालय प्रशासन को समय व परिस्थिति के अनुसार नियम परिवर्तन का अधिकार होगा।
27. किसी भी समय समस्त निविदाओं को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार प्राचार्या व समिति को होगा।
28. निर्धारित सेवा शर्तों के उल्लंघन करने एवं सामान की गुणवत्ता का पालन नहीं करने पर अनुबंध को रद्द करने का अधिकार प्राचार्या के पास सुरक्षित रहेगा।
29. अवकाश के दिन प्रतियोगी परीक्षा या किसी अन्य कार्यक्रम के कारण महाविद्यालय खुलने की दशा में केन्टीन भी खोलनी होगी जिसकी सूचना पूर्व में ही दे दी जावेगी।
30. केन्टीन में सभी प्रकार की प्रतिदिन की सफाई, (बर्तन, फर्श, सामग्री बनाने का स्थान, सामग्री संग्रहण का स्थान, केन्टीन फर्नीचर, बिजली से संबंधित उपकरण आदि) की जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी।
31. समस्त श्रम कानूनों की पालना ठेकेदार फर्म को करनी होगी।
32. श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी। कॉलेज का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
33. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी श्रमिक को देय मजदूरी श्रम अधिनियम के अनुसार करनी होगी।
34. किसी भी प्रकार का कर यथा सेवा कर, वैट (VAT), जीएसटी (GST), आयकर आदि समस्त सरकारी देनदारियों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
35. किसी विवाद की स्थिति में प्राचार्या का निर्णय अंतिम होगा।
36. समस्त मामलों का विवाद क्षेत्र जयपुर होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का पूरा नाम.....

पता.....

स्थान : जयपुर

दिनांक :

फोन नं./मोबाइल नं

